न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना संख्या : 244/2012

सायलान :-

1. शांतिदेवी पुत्री प्रभूराम
2. सुन्दरदेवी पुत्री प्रभूराम
3. पतासीदेवी पत्नी प्रभूराम

जातियान-गुरू (गरूडा) निवासी-सेवरिया तहसील जैतारण

बनाम

गै0सा0 :-

1. सुरेश पुत्र चम्पालाल
2. दिनेश पुत्र चम्पालाल
3. रतनी पत्नी चम्पालाल
4. कलावती पुत्री चम्पालाल
5. उषादेवी पुत्री चम्पालाल
6. लक्षमण दत्तक पुत्र अखराज उर्फ अम्बालाल जातियान गुरू(गरूडा) निवासी-सेवरिया, तह.-जैतारण
7. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.31.12.2012

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री कल्याण कुमार व्यास, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 06/07/2015

वकील मय सायलाान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान संख्या 01 से 06 एक ही पूर्वज बालूराम वल्द उदयराज गरूडा के वंशज हैं, जिनकी वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष बालूराम वल्द उदयराज के पुत्रगण प्रभुराम व राजूराम हुए तथा प्रभुराम की पत्नि पतासी, पुत्रियाँ शांतिदेवी व सुन्दर एवं पुत्र चम्पालाल (फौत) हैं तथा चम्पालाल (फौत) की पत्नि रतनी, पुत्रियाँ उषा व कलावती एवं पुत्रगण सुरेश व दिनेश हैं तथा राजूराम (फौत) का पुत्र अखराज तथा अखराज का गोदपुत्र लक्षमण हैं। उपरोक्त वर्णित वंशावली के माफिक सायलान व गैरसायलना एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। राजस्व मौजा-सेवरिया पटवार हल्का-सेवरिया, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 11-15 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 8-18 बीघा, खसरा नम्बर 228 रकबा 6-04 बीघा, कुल खसरा 032 कुल रकबा 26-17 बीघा व खसरा नम्बर 1767/227 रकबा 10 बीघा कुल रकबा 36-17 बीघा मे से 1/2 वे हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार सायलान के पति व पिता प्रभूराम थे तथा शेष 1/2 वां हिस्सा राजूराम जी का था, जो राजस्व रेकर्ड में राजूराम जी के स्वर्गवास उपरान्त अखराज के नाम दर्ज हुई थी। व उनके स्वर्गवास उपरान्त गैरसायलान संख्या 06

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लक्ष्मण पुत्र अखराज के नाम दर्ज हुई है। शेष 1/2 वे हिस्से की भूमि प्रभूराम पुत्र बालूराम की थी। बालूराम पुत्र उदयराज का स्वर्गवास होने पर नामान्तकरण संख्या 211 पटवार हल्का सेवरिया भरा जाकर स्वीकृत किया गया था। जिसकी प्रमाणित पति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। सायलान के पति व पिता प्रभूराम का स्वर्गवास दिनांक 01/06/2006 को हो गया था। प्रभूराम के जीवनकाल मे ही प्रभूराम व चम्पालाल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का विरूद्ध गैरसायलान संख्या 06 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् सहायक कलेक्टर साहब जैतारण के यहां पर पेश किया था, जो राजस्व वाद संख्या 50/2006 दर्ज किया जाकर बाद विचारण के दिनांक 17/09/2011 को निर्णित किया गया था। दौराने वाद प्रभूराम की मृत्यु हो जाने से उनका नाम हटाया गया व चम्पालाल की भी मृत्यु हो जाने से गैरसायलान संख्या 01 व 02 को चम्पालाल के उतराधिकारी के रूप मे रेकर्ड पर लिया जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण कर बंटवाडे की अन्तिम डिक्री पारित हो गई थी। माफिक बंटवाडा की डिक्री के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1977 पटवार हल्का–सेवरिया द्वारा भरा गया था, जिसमें गैरसायलान संख्या 01 व 02 के हिस्से मे अलग जमीन कर दी गई थी तथा गैरसायलान संख्या 06 के हिस्से मे अलग जमीन कर दी गई थी। सायलान के पिता प्रभूराम जी एवं सायलान के भाई व पुत्र चम्पालाल जी ने प्रभूराम जी के जीवन काल मे ही राजस्व वाद पेश कर दिया था व उसी माफिक प्रकरण का निस्तारण किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे प्रविष्टिया कर दी गई। जबकि सायलान सभी प्रभूराम जी की पुत्रीयां व पत्नी है, जो हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के माफिक प्रथम श्रेणी की विधित उत्तराधिकारीणी हैं तथा उक्त वर्णित भूमि में से प्रभूराम के 1/2 वें हक हिस्से की भूमि मे प्रभूराम की विधिक उत्तराधिकारीणी होने से अपना हक व हिस्सा पाने की अधिकारीणी हैं। न्यायालय श्रीमान् सहायक कलेक्टर साहब जैतारण के यहां से निर्णित राजस्व वाद संख्या 50/2006 की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 1977 दिनांक 09/04/2012 को भरा जाकर स्वीकृत किया गया हैं। जिसमें गैरसायलान संख्या 01 व 02 के हक हिस्से मे खसरा नम्बर 667/1 रकबा 5–18 बीघा, खसरा नम्बर 123/1 रकबा 4–09 बीघा व खसरा नम्बर 228/1 रकबा 3–02 बीघा कुल खसरा – 3 कुल रकबा 13–09 बीघा व खसरा नम्बर 1926/227 रकबा 5–00 बीघा कुल रकबा 18–09 बीघा की जमीन प्रभूराम पुत्र बालूराम के हक हिस्से मे आई हुई होने से इसी भूमि मे गैरसायलान संख्या 01 से 05 के साथ सायलान भी अपने हक हिस्से के माफिक राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारीणी हैं। इस कुल भूमि 14–09 बीघा मे सायलान प्रत्वयेक का 1/4–1/4 हिस्सा व गैरसायलान संख्या 01 से 05 सभी का 1/4 वां हिस्सा है। इसी माफिक सायलान अपने हक व अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारीणी है। नकल, चालूजमांबदी, एवं नकल फैसला व डिकी पर्चा भी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र मे आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा व इसी माफिक यह प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा का बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया है। प्रभूराम का स्वर्गवास उपरान्त सायलान व गैरसायलान संख्या 01 से 05 के पिता व पति चम्पालाल के नाम का बहिस्सा बराबर नामान्तरकरण भरा जाना चाहिये थे। लेकिन उस समय राजस्व वाद संख्या 50/2006 विचाराधीन होने की वजह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से सायलान के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही नही हो सकी एवं गैरसायलान संख्या 01 व 02 ने सायलान को बिना बताये ही वाद संख्या 50/2006 का निस्तारण करवा लिया है । जिसमें गैरसायलान संख्या 06 ने भी पूर्ण सहयोग किया हैं। इस वजह से उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि सायलान कें नाम दर्ज नही हो पाई है। उक्त भूमि माफिक अपने हक हिस्से अनुसार सायलान अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध गैरसायलान संख्या 01 से 05 के पेश की है । वादग्रस्त भूमि सायलान व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाति हैं। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नही हुआ हैं। सायलान माफिक अपने हक हिस्से अनुसार इस भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । लेकिन उक्त भूमि अकेले गैरसायलान संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज जाने की वजह से वह सायलान के कब्जे व काश्त मे दखलदांजी कर रहे है । जबकि सायलान अपने हक हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाना भी चाह रहे है । उक्त बंटवाडा करवाने से भी गैरसायलान ने दिनांक 05/11/2012 को ईन्कार कर दिया है। जिस पर यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया है । प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 मे वर्णित वादग्रस्त भूमि सायलान व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाति हैं। संयुक्त व शामलाति होकर पैतृक व पुश्तैनी है। इस भूमि के हर इंच हिस्से पर सायलान को हकव अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन राजस्व वाद संख्या 50/2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के यहां से पारित निर्णय के माफिक उक्त सम्पूर्ण भूमि अकेले गैरसायलान संख्या 01 व 02 के नाम राजस्व रेकर्ड मे गलत दर्ज हो गई है। इसी वजह से गैरसायलान अब सायलान को इस भूमि का उपयोग उपभोग करने में हस्तक्षेप व दखलदांजी कर रहे हैं एवं इस भूमि को जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तान्तरण करने को भी आमदा हैं। दिनांक 05/11/2012 को गैरसायलान संख्या 01 व 02 ने सायलान को एलानिया कथन किया कि सम्पूर्ण भूमि उनके ही नाम हो गई है। अब इस जमीन से तुम्हे बेदखल कर इस जमीन को जरिये बेचान हस्तान्तरण के अन्य हस्तान्तरित कर देगे। यदि गैरसायलान उक्त दृष्टकृत्य करने मे सफल हो गये हैं, तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं सायलान गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यो का विरोध करेंगे जिससे मौके पर विवाद होगा व सायलान को गैरसायलान के विरूद्ध बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमे करने पडेगे। तब इन उपरोक्त वर्णित तमाम परिस्थितियो मे सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। समस्त तथ्यो, परिस्थितियो व दस्तावेंजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष मे प्रमाणित हैं। यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती सायलान को उनके हक हिस्से की आराजी से बेदखल कर दिया या सायलान के हक हिस्से की भूमि को जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तान्तरण कर दिया तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा मे नही किया जा सकता हैं। इसलिये सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे प्रमाणित हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के सादर प्रस्तुत हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–सेवरिया में पेश हुई। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहाते हैं। बार–बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–सेवरिया पटवार हल्का–सेवरिया, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 11–15 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 8–18 बीघा, खसरा नम्बर 228 रकबा 6–04 बीघा, कुल खसरा 032 कुल रकबा 26–17 बीघा व खसरा नम्बर 1767/227 रकबा 10 बीघा कुल रकबा 36–17 बीघा की भूमि में गै0सा0 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति दिनांक 03/12/2012 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 06/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–सेवरिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner